**<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>**

**<u>03.01.2025</u>**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने **प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले** में पश्चिम बंगाल के विधायक और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, वस्त्र और सुधार प्रशासन के प्रभारी मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा की 3.65 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 31.12.2025 को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने प्राथमिक शिक्षकों की अवैध नियुक्ति, अयोग्य, गैर-सूचीबद्ध और निम्न रैंक वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति की पेशकश करने और निष्पक्षता बनाए बिना योग्य और वास्तविक उम्मीदवारों को वंचित करने के मामले में भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें प्रासंगिक नियमों का उल्लंघन करके एक-दूसरे के साथ आपराधिक साजिश रची गई थी। एफआईआर कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई द्वारा दर्ज की गई थी।

इससे पहले, चंद्रनाथ सिन्हा के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष धन शोधन के अपराध को करने के मामले में 06.08.2025 को अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी, जो इस मामले में 6वीं पूरक अभियोजन शिकायत थी। 22.03.2024 को चंद्रनाथ सिन्हा के आवासीय परिसर में की गई तलाशी में पहले 41 लाख रुपये की नकदी और अन्य अपराध संकेती रिकॉर्ड जब्त किए गए थे। जांच में आगे पता चला कि चंद्रनाथ सिन्हा द्वारा नियंत्रित बैंक खातों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा की गई थी। जांच के दौरान, यह पता चला कि चंद्रनाथ सिन्हा ने बोलपुर, बीरभूम के आसपास के क्षेत्र में अपने परिवार के सदस्यों को उनके नाम पर अचल संपत्ति हासिल करने के लिए एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया, जिसे अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।

इससे पहले, ईडी ने पार्थ चटर्जी, विधायक और पूर्व मंत्री प्रभारी, शिक्षा, पश्चिम बंगाल की करीबी सहयोगी श्रीमती अर्पिता मुखर्जी के परिसरों में की गई तलाशी के दौरान इस मामले में 49.80 करोड़ रुपये की नकदी और 5.08 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण बरामद और जब्त किए थे।

ईडी ने इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग के तत्कालीन प्रभारी मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी सहयोगी सुश्री अर्पिता मुखर्जी सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में, कुल 95 करोड़ रुपये (लगभग) के 6 अस्थायी कुर्की आदेश (पीएओ) पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इस नवीनतम अस्थायी कुर्की से कुल कुर्क की गई संपत्ति 98.65 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।

इसके अलावा, ईडी ने विभिन्न आरोपियों/संस्थाओं के खिलाफ मामले में 19.09.2022 को अभियोजन शिकायत दर्ज की, जिसके बाद 07.12.2022, 21.03.2023, 08.05.2023, 28.07.2023, 30.11.2024 और 06.08.2025 को 6 पूरक शिकायतें दर्ज की गईं। पार्थ चटर्जी, विधायक और शिक्षा के पूर्व मंत्री प्रभारी, पश्चिम बंगाल, सुश्री अर्पिता मुखर्जी, माणिक भट्टाचार्य, विधायक सहित 54 व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ मामले में आरोप तय किए गए हैं और विद्वान विशेष न्यायालय के समक्ष सुनवाई चल रही है।

इसके अलावा, पीटीआरएस मामले में कुल जब्ती और कुर्की वर्तमान में **154.91 करोड़** रुपये (लगभग) है, जो आरोपी व्यक्तियों और संबंधित संस्थाओं के नाम पर है। एसएससी सहायक शिक्षक भर्ती और समूह 'सी' और 'डी' स्टाफ भर्ती घोटालों के संबंधित मामलों में, ईडी ने **486 करोड़ रुपये** (लगभग) की संपत्ति कुर्क की है। भर्ती घोटाले के मामलों में ईडी कोलकाता द्वारा कुल कुर्की **641 करोड़** रुपये (लगभग) है।

आगे की जांच जारी है।